आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

1. योजना का उद्देश्यः–

राजस्थान राज्य की जनजाति छात्राओ को उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु प्रेरित करना व बालिका शिक्षा को बढावा देना।

2. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र

- योजना का नाम जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना होगा।
- योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी ।

3. परिभाषाएँ:–

- राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।
- विभाग से तात्पर्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान से है ।
- आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से है ।
- सामान्य शिक्षा से तात्पर्य कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषय के स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा में नियमित अध्ययन से है ।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) – जनजाति छात्राएँ जो महाविद्यालय में अध्ययनरत है उन्हें अध्ययन हेतु रू. 500/– प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

5.पात्रता – छात्रा द्वारा पात्रता की निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा:–

- छात्रा राजस्थान के जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- छात्रा निजी/राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर
- अध्ययन में अन्तराल (गेप) नही होना चाहिए।
- जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एव आधार कार्ड होना चाहिए।
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेजः–

- छात्रा के माता–पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा–पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो ।

7. आवेदन प्रकिया –

- जनजाति छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** पर देखे जा सकते है।
- छात्रा वर्तमान में जिस महाविद्यालय मे अध्ययनरत है। उस महाविद्यालय द्वारा छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जॉचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी व सहरिया/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं /विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रकिया :–

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जॉच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

आयुक्त

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

छात्रगृह किराया सहायता योजना एवं दिशा–निर्देश

1. योजना का उद्देश्य:–

राजस्थान राज्य के **अनुसूचित क्षेत्र** के जनजाति छात्र/छात्राओं को, उच्च शिक्षा में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना। उन छात्र/छात्राओं को किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना, इस योजना के तहत गृह किराया राशि उपलब्ध कराया जाना। उक्त योजना के तहत जनजाति के छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्ष तक सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र

- योजना का नाम जनजाति छात्र/छात्राओं को छात्रगृह किराया योजना होगा।
- योजना राजस्थान के केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों, जो राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उन छात्र/छात्राओं पर लागू होगी ।

3. परिभाषाएँ:–

- राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।
- विभाग से तात्पर्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान से है ।
- आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से है ।
- सामान्य शिक्षा से तात्पर्य कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक शिक्षा हेतु नियमित अध्ययन से है ।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) –योजना के अनुसार मकान किराया हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी –

क्र.	स्थान	अवधि	दर प्रतिमाह प्रति छात्र–छात्रा	राशि (10 माह की राशि)
1	संभाग मुख्यालय	10 माह तक	500.00	5000.00
2	जिला मुख्यालय	10 माह तक	400.00	4000.00
3	अन्यत्र स्थान	10 माह तक	300.00	3000.00

5.पात्रता :– छात्र/छात्रा द्वारा निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर ही योजना का लाभ देय होगा:–

- जनजाति छात्र/छात्राएं जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोतर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- छात्र/छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।

(8)

- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गेप) नही होना चाहिए।
- जो छात्र/छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
- छात्र/छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एव आधार कार्ड होना चाहिए।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेजः–

- छात्रा के माता–पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा–पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो ।
- छात्र/छात्रओं द्वारा स्वंप्रमाणित किराये पर मकान लेकर अध्ययन करने का प्रमाण–पत्र/किराया रसीद की प्रति।

7. आवेदन प्रकिया –

- जनजाति छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** पर देखे जा सकते है।
- छात्रा वर्तमान में जिस महाविद्यालय मे अध्ययनरत है। उस महाविद्यालय द्वारा छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जॉचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी व सहरिया/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं /विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रक्रिया :–

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जॉच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

आयुक्त

3

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र को आर्थिक सहायता

1. योजना का उद्देश्यः–

राजस्थान राज्य के प्रतिभावान जनजाति छात्रों को, जो राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत है, उन्हे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने हेतु प्रेरित करना।

2. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र

- योजना का नाम जनजाति छात्र को बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र को आर्थिक सहायता होगा।
- योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी ।

3. परिभाषाएँः–

- राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।
- विभाग से तात्पर्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान से है ।
- आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से है ।
- सामान्य शिक्षा से तात्पर्य कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक शिक्षा हेतु अध्ययन से है।
- राजस्थान का मूल निवासी हो।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) – बोर्ड कक्षाओं एवं विश्वविद्यालय में जो छात्र प्रथम श्रेणी से 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण होते है उन्हे 350/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा।

5. पात्रता :– छात्र द्वारा पात्रता की निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगाः–

- दसवीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्यारवी कक्षा एवं बाहरवी कक्षा में अध्ययनरत ऐसे छात्र को 11वी कक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तो बारहवी कक्षा में अध्ययन के दौरान राशि देय होगी।
- बारहवी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र को ग्रेज्युएशन के दौरान छात्र के प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही द्वितीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि देय होगी। इस प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को ही तृतीय वर्ष में राशि देय होगी।
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्त शर्ते लागू रहेगी।
- छात्र राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए।
- छात्र के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
- छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो।

(5)

- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गेप) नही होना चाहिए।
- जो छात्र राजकीय छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एव आधार कार्ड होना चाहिए।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेजः–

- छात्रा के माता–पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा–पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो ।
- कक्षा 10/12 वी व अन्तिम उत्तीण कक्षा की अंक तालिका।

7. आवेदन प्रकिया –

- प्रतिभावान जनजाति छात्र द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।
- छात्र वर्तमान में जहॉ कक्षा 11 वी व स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है, उन शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जॉचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी/परियोजना अधिकारी, सहरिया/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/ विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रकिया :–

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जॉच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

आयुक्त

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

1. योजना का उद्देश्यः–

राजस्थान राज्य की जनजाति छात्राएँ, जो राजकीय विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत है, उन्हे उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करना।

2. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र

- योजना का नाम जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता होगा।
- योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होगा ।

3– परिभाषाएँः–

- राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।
- विभाग से तात्पर्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान से है ।
- आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से है ।
- सामान्य शिक्षा से तात्पर्य कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक शिक्षा हेतु अध्ययन से है।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) – जनजाति छात्राऐ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हो उन्हें उच्च शिक्षा हेतु 350/– प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

5. पात्रता :– छात्रा द्वारा पात्रता की निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगाः–

- राजकीय विद्यालयो में 11वी ओर 12वी में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- छात्रा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो ।
- जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एव आधार कार्ड होना चाहिए।

6– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेजः–

- छात्रा के माता–पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा–पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो ।

(6)

7. **आवेदन प्रकिया** –

- जनजाति छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर भामाशाह कार्ड को विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।
- छात्रा वर्तमान में जहॉ विद्यालय मे अध्ययनरत है, उन शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जॉचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी/परियोजना अधिकारी सहरिया/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. **भुगतान प्रकिया** :–

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जॉच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

आयुक्त